


न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर
मेमता शर्मा वर्मा बनाम महावीर वर्मा

31.10
25

वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 2 की भेंट से वकील उपस्थित। पत्रावली भाज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपलोड से बाहर भाया कि यह मुत्तकिली जार्जिन-पउ श्री राजीव शर्मा एसडीएम भरतपुर के विरुद्ध पेश किया गया था।

चूंकि अब श्री राजीव शर्मा का स्थानान्तरण एसडीएम भरतपुर के पद से भंग्य हो जाने के कारण मुत्तकिली जार्जिन स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है।

अतः प्रकरण प्रभावहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली ईसल शुकाए हो बाद कारवाही दायित्व एफ़र हो।


जिला कलक्टर
भरतपुर